



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(भ्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय/Regional Office
पंचदीप भवन, ई.डी.सी. प्लॉट सं. 23, पाटो, पणजी, गोवा-403001
Panchdeep Bhavan, EDC Plot No. 23, Patto, Panaji, Goa-403001
Phone: 0832-2438853 ई-मेल/E-mail :rd-go@esic.nic.in,
वेबसाइट/Website : www.esic.nic.in
Toll free no-1800-11-2526/3839 Fax No-0832-2438858

सं. 32-A-50/12/2024-ESTT(B-79)

दिनांक

वर्ष 2026 का कार्यालय आदेश संख्या 39

केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान से प्राप्त पत्र दिनांक 12.02.2026(प्रति संलग्न) के अनुसार केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान के पत्राचार द्वारा हिन्दी टंकण प्रशिक्षण, सत्र फरवरी, 2026 से जुलाई, 2026 में क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम के निम्नलिखित 05 कर्मिकों को प्रवेश प्राप्त हुआ है:-

क्रम संख्या	नाम(सर्वश्री/ श्रीमती)	पदनाम	पंजीकरण संख्या
1.	एस बालाजी	बहुकार्य स्टाफ	00043
2.	अखिल आर.पीषारोडी	सहायक (तदर्थ)	00044
3.	ज्योति प्रकाश	बहुकार्य स्टाफ	00045
4.	इंदिरा केदार सावंत	प्रवर श्रेणी लिपिक	00046
5.	ओम बाबु	बहुकार्य स्टाफ	00047

केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उपर्युक्त सभी कर्मिकों के ईमेल आईडी पर उनके पंजीकरण कार्ड तथा प्रशिक्षण सामग्री की किट(प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय किट) भेजी गई है।

सक्षम प्राधिकारी ने प्रवेश प्राप्त सभी कर्मिकों को निम्नलिखित सुनिश्चित करने का कडा आदेश किया है:-

- यह प्रशिक्षण पत्राचार माध्यम से दिलवाया जा रहा है अतः प्रशिक्षण के लिए प्रवेश प्राप्त सभी कर्मिक उन्हें भेजी गई प्रशिक्षण किट को अपने पास सहेज कर रख लें तथा उक्त किट से अध्याय-वार ही तथा नियमित रूप से अभ्यास करें।
- पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा हिन्दी टंकण प्रशिक्षण कंप्यूटर पर यूनिकोड फॉन्ट में इनस्क्रिप्ट की-बोर्ड पर दिया जाएगा। अतः कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके कम्प्यूटर में यह सुविधा उपलब्ध हो। इस संबंध में किसी भी प्रकार की समस्या/ कंप्यूटर में इनस्क्रिप्ट आदि न होने की स्थिति में कर्मिक अविलंब आई-टी कर्मिक, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, गोवा से संपर्क कर यह सुविधा अपने कम्प्यूटर पर शुरू करवाना सुनिश्चित करें।
सभी उपर्युक्त कर्मिक ध्यान दें कि इस प्रशिक्षण की परीक्षाएँ केवल यूनिकोड फॉन्ट में इनस्क्रिप्ट की-बोर्ड में ही ली जाएंगी। परीक्षा के दौरान प्रशिक्षार्थी को 30 शब्द प्रति मिनट की गति परीक्षा देनी होगी एवं नकद पुरस्कार प्राप्ति हेतु हिन्दी टंकण 35 शब्द प्रति मिनट की गति या (10500 KDPH) अनिवार्य है। अतः कृपया तदनुसार अभ्यास सुनिश्चित किया जाए।
- प्रशिक्षार्थियों को प्रत्येक किट की अभ्यास सामग्री को बार-बार टाइप करना तथा अंतिम बार टाइप सामग्री को जांच के लिए केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय भिजवाना अपेक्षित है।
अतः सभी कर्मिकों को यह स्पष्ट तथा कडा आदेश दिया जाता है कि वे प्रत्येक कार्यदिवस में कार्यालय समय के दौरान प्रतिदिन न्यूनतम एक घंटा अवश्य हिन्दी टंकण का अभ्यास करना

सुनिश्चित करें तथा प्रत्येक सप्ताह के अंत में किए गए अभ्यास की अंतिम प्रति राजभाषा शाखा को अवश्य भेज दें ताकि कथोक्त प्रति केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान को जांच हेतु यथासमय भेजी जा सके। सभी कार्मिकों की अभ्यास प्रति केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय को एक साथ ही भेजी जाएगी। अतः अभ्यास किट को दिए गए समय अनुसार ही भेजा/ प्रस्तुत किया जाए। किसी कार्मिक द्वारा विलंब से भेजी/ प्रस्तुत की गई अभ्यास प्रति के कारण अन्य कार्मिकों की प्रतियाँ भेजने में विलंब हो सकता है जिसे प्रशासन द्वारा निश्चिततः गंभीरता से लिया जाएगा।

4. सभी प्रशिक्षणाधीन कार्मिकों को उनका पंजीकरण कार्ड राजभाषा शाखा/ केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पहले ही दिया जा चुका है अतः यदि किसी प्रशिक्षार्थी के पंजीकरण विवरण में कोई सुधार करना हो तो तत्काल पंजीकरण संख्या तथा सुधार के पूर्ण विवरण के साथ ईमेल आई-डी chti1074-dol@gov.in पर सूचित करें।

यह क्षेत्रीय निदेशक(प्रभारी) के अनुमोदन/ आदेश से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक: केंद्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान का पत्र, दिनांक 12.02.2026

Digitally signed by

Hemant Kumar

Date: 10-04-2026

(हमंत कुमार)

15:45:09

उप निदेशक (प्रशासन)

प्रति:-

1. सभी संबन्धित कार्मिक।
2. संबन्धित कार्मिकों के नियंत्रक अधिकारी/ कार्यालय अधीक्षक/ शाखा कार्यालय प्रबंधक को इस निदेश के साथ प्रेषित कि प्रशिक्षणाधीन कार्मिक को कार्यदिवसों में प्रशिक्षण सामग्री का अभ्यास करने हेतु प्रतिदिन न्यूनतम एक घंटे का समय अवश्य दिया जाए।
3. वैयक्तिक सहायक प्रकोष्ठ, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, गोवा को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सभी शाखाधिकारी/ शाखाएँ, क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी.निगम, गोवा।
5. कार्यालय आदेश फाइल/ अतिरिक्त प्रतियाँ।